<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कुलपहाड़ महोबा।</u>

<u>मूलवाद संख्या–30/2019</u>

हरीकृष्ण बनाम सुन्दर आदि,

<u>दिनांक 22.02.2019</u>

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थना पत्र 6ग2 को एक पक्षीय रूप से सुना गया।

वादी द्वारा संक्षेप में कथन किया गया है कि वह भूमि गाटा संख्या 505/4 रकवा 0.263 हेक्टेयर मालगुजारी 3–16 रूपया स्थित मौजा हैवतपुरा खंगारन परगना व तहसील कुलपहाउत्र जनपद महोबा का संक्रमीणीय भूमिधर मालिक काबिज है। उपरोक्त भूमि नम्बर 505 के कुल रकवा 1.2100 हेक्टेयर पर वादी के साथ प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 सह खातेदार है। प्रतिवादी संख्या–1 प्रतिवादी संख्या–2 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 आपस में सगे भाई हैं। उभय पक्ष के मध्य सरकारी बटवारा वाद संख्या 2003/18 धारा 116 उ0 प्र0 रा0 संख्या हरीकृष्ण बनाम आशाराम आदि दायर किया जिसमें लेखपाल द्वारा मौके के आधार पर कुरा फॉट व नक्शा रंगाभेदी तैयार कर प्रस्तुत किया और सक्षम अधिकारी के आदेश दिनॉक 08.08. 2018 में लेखपाल द्वारा दाखिल कुरा को पुष्टित करते हुये वाद का निर्णय किया और उक्त आदेश अन्तिम है। साथ ही उक्त आदेश के अनुपालन में निरीक्षक व लेखपाल द्वारा भूमि की मौकेपर पैमाइश कर पत्थर गड्डी कायम कर वादी को अपने अंश पर कब्जा दखल दिया था। प्रतिवादीगण की नियत में बेइमानी का फितूर आ गया और वादी की भूमि पर फसल को खुर्द बुर्द करने व उसे बेदखल करने पर अमादा है। याचना की गयी कि जरिये अस्थायी व्यादेश प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि वह स्वयं व जरिये अपने मेलियान, मुलाजिमान, परिवारीजन व रिश्तेदारों के सहयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वादी वादी की भूमि स्थित मौजा हैवतपुरा खंगारन गाटा संख्या 505/4 रकवा 0.263 हेक्टेयर पर वादी की खडी फसल गेहूँ को खुर्द बुर्द न करें, वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व कृषि कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1 के माध्यम से कागज संख्या 10ग1, 11ग1, 12ग1,13ग1,14ग1, 15ग1 व 16ग1 दाखिल किय गये हैं। कागज संख्या 12ग1 आदेश पत्रक में उभयपक्ष के मध्य सरकारी बटवारा होना प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है। इसके समर्थन में कागज संख्या 14ग1 दाखिल किया है जिसमें रंगाभेदी नक्शा के जरिये पक्षकारों का अंश दर्शाया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र 6ग2 एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को अग्रिम दिनांक तक निषेधित किया जाता है कि वह विवादित स्थल पर यथा स्थिति बनाये रखे तथा विवादित आराजी पर वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग पर कोई व्यवधान उत्पन्न न करे।

आदेश निम्न शर्तो के अधीन होगा–

1. वादी आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पैरवी अविलम्ब 24 घंटे में करें।

2. यदि प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होते है और प्रार्थना पत्र 6ग2 के गुण–दोष के निस्तारण में बल देते है, तब यदि वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की विलम्बकारी प्रक्रिया अपनायी जाती है तो यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा।

3. उक्त आदेश उ0प्र0 सरकार व किसी सरकारी निकाय के विरूद्ध लागू नहीं होगा।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 13.03.2019 को पेश हों।

वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश हेतु संस्थित किया गया है। अस्थाई व्यादेश के वाद में विवादित आराजी की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। **अतः विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में अमीन रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायोचित है। वादीगण अमीन रिपार्ट के बाबत पैरवी करे।** तदोपरांत परवाना बनाम अमीन अदालत जारी हो। अमीन अदालत मौके पर जा कर दोनो पक्षों को सूचित करते हुए विवादित आराजी की वास्तविक स्थित मय पैमाइशी नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में पेश करे।

सिविल जज (जू0डि0)
कुलपहाड़ महोबा।